

भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन विधियक को लोकसभा की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधियक, 2018 पारित कर दिया है जो रशिवत देने वालों और रशिवत लेने वालों को दंडित करने का प्रावधान करता है। यह विधियक लोक सेवकों के रशिवत देने या लेने का दोषी पाए जाने पर जुर्माना के अलावा तीन से सात साल तक के जेल की सज़ा का प्रावधान करता है।

प्रमुख बहुमत

- यह विधियक सरकारी करमचारियों का दायरा भी बढ़ाता है जिन्हें अभियोजन पक्ष के लिये पूर्व सरकारी मंजूरी के प्रावधान से संरक्षित किया जाएगा।
- जाँच शुरू करने के लिये सरकार की पूर्व अनुमतिपाने के प्रावधान ने कई लोगों को यह कहने को प्रेरित किया है कि कानून अपने मूल रूप से "कमज़ोर" हो गया है।
- संशोधन विधियक में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को दो साल के अंदर ही नपिटाना होगा। राज्यसभा में एक सप्ताह पहले ही इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। विधियक में सरकारी करमचारियों पर भ्रष्टाचार का मामला शुरू करने से पहले लोकपाल और राज्य के लोकायुक्त की अनुमतिलेना अनविर्य किया गया था।

सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना

- विधियक में यह सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा प्रदान की गई है कि ईमानदार अधिकारी को इसी शकियतों से धमकाया न जा सके।
- पहले का भ्रष्टाचार विरोधी कानून और वरतमान कानून "कपटपूरण रशिवत देने वालों" और जो "मजबूर(coerced)" हैं, के बीच एक अंतर बताता है। ऐसे मामलों में विधियक उन लोगों की रक्षा करता है जो इस मामले की रपिरेट सात दिनों के भीतर करते हैं।

सरकार पर आरोप

- बहस में भाग लेने वाले कई सदस्यों ने चुनाव व्यय को रोकने और राजनीतिमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिये चुनावों में सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- एक संसद सदस्य ने विधियक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे के बावजूद मल्टी-करोड़ राफेल सौदा, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और वजिय मालया द्वारा बैंक धोखाधड़ी सहति कई घटनाओं को अजाम दिया गया है। सरकार भ्रष्टाचार के खलिफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है लेकिन वास्तविकता वलिकुल विपरीत है। देश में अधिकारियम भ्रष्टाचार और नयनतम रोकथाम है। लोकपाल की नियुक्तिमें दरी पर भी सवाल उठाया गया।

भ्रष्टाचार नरिएधक अधिनियम, 1988

- भ्रष्टाचार नरिएधक अधिनियम, 1988 भारतीय संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- इसके पश्चात भारत ने यूएनसीएसी की पुष्टि रशिवतखोरी और भ्रष्टाचार आदि अपराधों से नपिटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय कारवाई जैसे घटनाकर्मों की भी अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में समीक्षा की जानी आवश्यक हो गई ताकि इसे भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुरूप लाया जा सके और यूएनसीएसी के अंतर्गत देश के दायतिवों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
- भ्रष्टाचार नरिएधक (संशोधन) अधिनियम, 2013 को इसी उद्देश्य के अंतर्गत 19 अगस्त, 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया। इस विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा को 6 फरवरी, 2014 को इस विधियक पर अपनी रपिरेट सौंप दी लेकिन विधियक पारित नहीं हो सका।
- विधियक में रशिवतखोरी से संबंधित अपराधों को प्रभावित करने के एक महत्वपूर्ण बदलाव के बचाव को देखते हुए प्रस्तावित संशोधनों पर भारतीय विधिआयोग के विचार मांगे गए थे। भारतीय विधिआयोग की 254वीं रपिरेट के द्वारा की गई सफिरशिंगों के अनुरूप इस विधियक में संशोधन किये गए हैं।

